डीजी परिपत्र संख्याः 67/2014

ए0एल0 बनर्जी,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकःलखनऊः अक्टूबर 17 ,2014

विषय- कैपिटल केस संख्या-574/2013 अख्तर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

बलात्कार एवं हत्या विशेषतः अवस्यक किशोरियों के सम्बन्ध में, जो परिस्थितजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जैसे अपराधों की विवेचनाओं में वैज्ञानिक विधियों के समावेश किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित परिपत्र पूर्व में निर्गत किये गये है एवं विभिन्न बैठकों में भी इसकी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाती रही है। आप सहमत होंगे कि हत्या एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के साक्ष्य संकलन में गुणवत्तापरक वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन कर कार्यवाही की जाए तो जहां एक ओर पीड़िता को नैसर्गिक न्याय मिलेगा वहीं अपराधियों को मा0 न्यायालय से पुष्टिकारक साक्ष्यों के आधार पर दण्डित किये जाने का प्रतिशत बढ़ेगा। साथ ही अपराधियों पर दबाव बढ़ने के साथ अपराधों पर नियन्त्रण भी होगा।

डीजी-सात-एस-2ए(निर्देश)/2013 दिनांक 12.04.13
अ0शा0परिपत्र संख्याः13/2013 दिनांक 17.04.13
डीजी परिपत्र संख्याः 16/2013 दिनांक 29.04.13
अ0शा0 परिपत्र संख्याः 19/2013 दिनांक 06.5.13
अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याः 58/2013 दिनांक 17.10.13
अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याः 41/2013 दिनांक 01.08.14

2. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त रिट याचिका में बलात्कार एवं हत्या जैसे जघन्य अपराधों में विशेषतः अवस्यक किशोरियों के सम्बन्ध में विवेचना की गुणवत्ता में सुधार लाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के सुसंगत अंश निम्नलिखित हैः-

(1) That in cases of rape and murder of minor girls, which are based on circumstantial evidence, as far aspossible, material which is collected from the deceasedor the accused for example hair or blood of the victim orthe accused, which is found on the persons or clothes of the victim or the accused or at the spot, seminal stains of the accused on the clothes or body of the victim, Seminal swabs which may be collected from the vaginal or other orifices of the victim and the blood and other materials extracted from the accused which constitutes the control sample should be sent for D.N.A. Analysis, for ensuring that forensic evidence for establishing the participation of the accused in the crime, is available.

(2) We also direct the Director General Medical Health U.P., Principal Secretary Health, U.P., and D.G.P., U.P. tomandate sending the accused for medical examination ineach case for ascertaining whether he has any injuries caused by the resisting victim, or when he attempts to cause harm to her as is provided under section 53 A ofthe Code of Criminal Procedure Code, which was introduced by Act 25 of 2005, (w.e.f 23.6.2006). Inparticular if the rape suspect is apprehended at an earlydate after the crime, it should be made compulsory to take both dry and wet swabs from the penis, urinary tract, skin of scrotum or other hidden or visible regions, after thorough examination for ascertaining the presence

isolating the victim's DNA and necessary specialized trainings be imparted to the examining forensic medical practitioners for this purpose.

(5) The Director General of Prosecution, U.P., the Director General of Police U.P. and Director General Medical Health should ensure that blind cases of rapeand murder of minor girls or other complicated cases are thoroughly investigated by efficient Investigating Officers. Effective steps should be taken for forensic investigations by collecting and promptly sending for DNA analysis all possible incriminating material collected from the deceased, victim, accused, and at the scene ofthe crime etc. which may give information about theidentity of the accused and his involvement in the crime, after taking precautions for preventing the contamination of the material. This is necessary to prevent Courts being rendered helpless because the prosecution and investigating agency are lax in producing witnesses or because witnesses have been won over or are reluctant to depose in Court. Steps should also be taken for preventing witnesses from turning hostile, by prosecuting such witnesses, and even by cancelling bails of accused where they have secured bails where it is apparent that efforts are being made to win over witnesses and by providing witnesses with protection where ever necessary so that they can give evidence in Court without fear or pressure. In case there is reason to think that the Investigating Officers or medical officers or others have colluded with the accused, strict action be initiated against the colluding officials as was recommended in the case of Dayal Singh vs. State of Uttaranchal (supra). It is necessary that policies andprotocols be developed by the DGP, U.P., Principal Secretary Health, Director Medical Health U.P., Directorof Prosecutions, U.P., for the aforesaid purposes.

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के क्रम में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैः-

- ऐसे अभियोग जिनमें अवस्यक लड़कियों के साथ बलात्कार एवं हत्या की घटना घटित हो तथा जिसकी विवेचना परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित हो, में यथासम्भव एकत्रित किये गये साक्ष्य जैसे अभियुक्त अथवा पीड़िता के बाल एवं खून तथा अभियुक्त का वीर्य जिसे पीड़िता के कपड़े या शरीर से अथवा पीड़िता के जननांग से अभियुक्त का वीर्य के सही तरीके से लिये गये नमूने को डी0एन0ए0 प्रोफाईलिंग हेतु एकत्रित किया गया हो भेजा जाए, जिससे विधि विज्ञान से सम्बन्धित साक्ष्यों का समावेश अन्य संकलित साक्ष्यों में किया जा सके, जिसके द्वारा अभियुक्त का अपराध में संलिप्तता के पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध हो सकें।
- यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि ऐसे अभियोगों से सम्बन्धित अभियुक्त को भेजे जाने से पूर्व उसका चिकित्सीय परीक्षण अनिवार्य रूप से कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि अभियुक्त के शरीर पर आयी चोटें पीड़िता के प्रतिरोध करने के फलस्वरूप तो नहीं आयी है अथवा जब अभियुक्त पीड़िता को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहा था तो द0प्र0सं0 की धारा 53(ए) (Act 25 of 2005) (w.e.f 23.6.2006) के प्राविधानों के तहत, विशेष रूप से जब बलात्कार के संदिग्ध अपराधी को घटना के बाद जल्द ही पकड़ा गया हो तो उसके लिंग से ड्राई तथा स्त्रवित द्रव, मूत्रनली तथा अण्डकोश के नीचे व अन्य ऐसे छिपे हुए भागों से आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए एकत्रित कर लिया जाए तथा गहन परीक्षणोपरान्त यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पीड़िता के डी0एन0ए0 प्रोफाईलिंग तथा अन्य आवश्यक परीक्षण कर संरक्षित कर भेजा जाए।
- अवस्यक लड़कियों के साथ बलात्कार एवं हत्या के अपराधों में पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विवेचना के दौरान आधुनिक विज्ञान तथा विधि विज्ञान तकनीकी का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाए।

- ऐसे अज्ञात अभियोग, जिसमें अवस्यक लड़की की बलात्कार व हत्या की गयी हो, ऐसे अभियागों की गहन विवेचना हेतु सुयोग्य विवेचक से विवेचना सम्पन्न करायी जाय तथा प्रभावशाली कदम उठाते हुए विवेचक द्वारा पीड़िता, अभियुक्त, मृतका तथा घटना स्थल से सभी प्रदर्शों को एकत्रित करके डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु भेजा जाए।
- यदि गवाहों के पक्षद्रोही (Hostile) होने की सम्भावना परिलक्षित हो तो ऐसे गवाहों यदि वादी अथवा गवाहों को अभियुक्त पक्ष द्वारा डराया अथवा धमकाया जाता है तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाये तथा अभियुक्त के विरूद्व कड़ी वैधानिक कार्यवाही करते हुए जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये। जिससे गवाह निर्भीकता एवं स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के गवाही दे सकें एवं गवाहों के पक्षद्रोही (Hostile) होने की सम्भावना पर अंकुश लगाया जा सकें।
- न्यायालय में विचारण के दौरान यदि अधिकांश गवाह पक्षद्रोही हो रहे तो अभियुक्त/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की जाय, जिससे शेष गवाह पक्षद्रोही न हो सकें।
- ऐसे प्रकरणों में जिनमें विवेचनाधिकारी या चिकित्सक अथवा अभियोग से सम्बन्धित अन्य इकाई की संलिप्तता परिलक्षित होती है तो सम्बन्धित के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जाए जैसा कि दयाल सिंह बनाम उत्तरॉचल में मा0 न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में विवेचनात्मक प्रक्रिया के निर्देश बिन्दु (SOP) संकलित कर एक **'विवेचना दिगदर्शिका'** इस मुख्यालय के पत्र संख्याःडीजी-सात-एस-4-(256)/2011-पार्ट-8 दिनांक 27.07.2014 द्वारा सभी को तदनुसार कार्यवाही किऐ जाने हेतु प्रेषित की गयी है। जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

3. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अवस्यक लड़कियों के साथ बलात्कार एवं हत्या की घटनाओं के प्रकरण में संवेदनशील होकर उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(ए0एल0 बनर्जी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।(नाम से)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।